

**न्यायालय: श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 664 / 2014  
संस्थान दिनांक 15.10.2014

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द ठीकरी,  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

**वि रू द्ध**

1. राजु पिता पुनाजी कुम्हार, आयु 45 वर्ष  
निवासी- नई आबादी , धामनोद
2. हरि पिता वारसिया, आयु 55 वर्ष  
निवासी-धामखेड़ा, थाना ग्रामीण सेंधवा
3. राजु पिता वेरसिंग, आयु 32 वर्ष,  
निवासी-गागरखेड़ा थाना ग्रामीण सेंधवा

-----अभियुक्तगण

**// नि र्ण य //**

**(आज दिनांक 27.01.2016 को घोषित)**

1. पुलिस थाना ठीकरी, द्वारा अपराध क्रमांक 210/2010 अंतर्गत धारा 4 सहपठित 6 म.प्र. कृषि उपयोगी पशु संरक्षण अधिनियम 1959, धारा 11 (घ) पशु कुरता अधिनियम 1970, धारा 6 सहपठित 9 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में दिनांक 23.04.2010 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 18.09.2014 को शाम लगभग 05.00 बजे, स्थान ए.बी. रोड़, बोराड़ नदी, पुल के पास वाहन टाटा एस. (छोटा हाथी) क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4607 में नग 03 बैलों को मारपीट कर क्रूरतापूर्वक मुँह एवं पैर बांधकर ले जाने, गौवंश के नग 03 बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, वाहन टाटा एस. (छोटा हाथी) क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4607 में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाये जाने तथा गौवंश के नग 03 बैलों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है उन्हें वाहन टाटा एस. (छोटा हाथी) क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4607 में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन करने के संबंध में धारा 11(घ) पशुकूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 मध्यप्रदेश कृषि पशु परीक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 18.09.2014 को फरियादी अंकित तथा राहुल राठौड़ एवं योगेश यादव को सूचना मिली कि तीन व्यक्ति बैलों को वध करने हेतु वाहन टाटा एस क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4607 में मुँह एवं पैर बांधकर क्रूरतापूर्वक भरकर ले जा रहे हैं तब फरियादी ने अपने साथियों को सूचना से अवगत कराकर साथ में लेकर ए.बी. रोड़ बोराड़ नदी की पुलिया पर पहुँचे जहाँ धामनोद की ओर से वाहन टाटा एस क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4607 आते दिखाई दिया, जिसे रोककर चैक करने पर उसमें 03 बैल मुँह एवं पैर बंधे होकर क्रूरतापूर्वक भरे हुए पाये गये। उक्त वाहन के चालक से पूछताछ करने पर उसने उसका नाम राजु पिता पुनाजी, निवासी धामनोद का तथा उसके साथियों का नाम पता पूछने पर हरि पिता पारसिया, राजु पिता वेरसिंह, तीनों निवासीगण गागरखेड़ा होना बताया तथा उक्त बैलों को महाराष्ट्र वध हेतु ले जाना बताया तत्पश्चात् फरियादी एवं उसके साथियों द्वारा वाहन टाटा एस क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4607 मय तीन बैल एवं अभियुक्तों को थाने लेकर आये। पुलिस ने अभियुक्तगण के विरुद्ध थाने के अपराध क्रमांक 210/2014 अंतर्गत धारा अंतर्गत धारा 4 सहपठित धारा 6 म.प्र. कृषि उपयोगी पशु संरक्षण अधिनियम 1959, धारा 11 (घ) पशु कुरता अधिनियम 1970, धारा 6 सहपठित धारा 9 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 2 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। साक्षियों के समक्ष अभियुक्तगण से वाहन टाटा एस क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4607 मय दस्तावेज एवं अभियुक्त राजु पिता पुनाजी की चालन अनुज्ञप्ति तथा नग 03 बैल को जप्त कर प्रदर्शपी 3 का जप्ती पंचनामा तथा पुलिस ने प्रकरण के अनुसंधान के दौरान फरियादी एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 11(घ) पशुकूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 मध्यप्रदेश कृषि पशु परीक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

1. क्या अभियुक्तगण घटना दिनांक 18.09.2014 को शाम लगभग 05.00 बजे, स्थान ए.बी. रोड़, बोराड़ नदी, पुल के पास वाहन टाटा एस. (छोटा हाथी) क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4607 में नग 03 बैलों को मारपीट कर क्रूरतापूर्वक मुँह एवं पैर बांधकर ले जा रहे थे ?

2. क्या अभियुक्तगण उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के नग 03 बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, वाहन टाटा एस. (छोटा हाथी) क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4607 में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाये गये ?

3. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के नग 03 बैलों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है उन्हें वाहन टाटा एस. (छोटा हाथी) क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4607 में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन किया ?

यदि हाँ, तो उचित दंडाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में डॉ. एस.के. दागोड़े (अ.सा.1), अंकित तिवारी (अ.सा.2), योगेश यादव (अ.सा.3), प्रधान आरक्षक सुरभान सिंह (अ.सा.4) एवं प्रधान आरक्षक पीरसिंह चौधरी (अ.सा.5) के कथन लेखबद्ध कराए गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं ।

### **साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 के संबंध में**

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सह संबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में अंकित तिवारी असा 2 का कथन है कि वह अभियुक्तों को जानता है और उसने उन्हें घटना वाले दिन देखा था तथा सामने आने पर भी पहचान सकता है। घटना सितम्बर 2014 की है। सूचना मिली थी कि टाटा. एस. कम्पनी के छोटे टेम्पो में 3 बैलों को ठूस-ठूसकर भरकर महाराष्ट्र वध हेतु ले जा रहे

है, तब उक्त गौवध को ले जाने की सूचना उसने राहुल व योगेश को दी। वे लोग ठीकरी के पहले पुराना ए.बी. रोड़ पहुँचे, उक्त वाहन इन्दौर की ओर से आ रहा था तथा उन्होंने वाहन को रोककर चेक किया जिसमें 3 नग बैल ठूस-ठूसकर भरे हुए थे तथा तीन व्यक्ति बैठे हुए थे। उसने उन तीन व्यक्तियों को देखा था तथा उनसे पूछताछ की थी, तब उन्होंने उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया था। वे लोग वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4607 मय बैल एवं अभियुक्तों का लेकर थाना ठीकरी आये तथा उसने घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर दर्ज कराई थी जो प्रदर्शपी 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने वाहन टेम्पों तथा 3 नग बैल जिसमें एक लाल, दूसरा भूरा तथा एक सुफेद रंग का था प्रदर्शपी 3 के अनुसार जप्त किये थे जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

8. अभियुक्तों की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि सुन्दल में बैल बाजार गुरुवार को लगता है। उसकी कृषि भूमि पर वह तथा उसके पिताजी कृषि कार्य ट्रैक्टर एवं बैलों से करते हैं। वे बैलों को क़य करके सुन्दल से बैलगाड़ी या वाहन से लाते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि दूसरे कृषक भी कृषि कार्य हेतु बैलों को क़य करने के लिए सुन्दल बाजार जाते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि थाने पर घटना के संबंध में कोई सूचना नहीं दी थी, फिर साक्षी ने स्पष्ट किया कि वह पहले बायपास जा रहा था। उसने पुलिस के पहले ही वाहन को रोक लिया था। वाहन पुरी तरह पल्ली (त्रिपाल) से ढंका था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई किसान बैलों को लेकर आता है तो बैलों के वाहन को ढंककर नहीं लाता है। बैलों को सास लेने के लिए वाहन खुला लेकर आता है। साक्षी का यह भी कथन है कि वाहन में बैल ठूस-ठूसकर भरकर ला रहे थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि सुन्दल बाजार से राजपुर, खेतिया सेंधवा तथा अंजड़ आदि गाँवों से होकर बैलों को क़य-विक्रय कर लाते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि यदि कोई अपराध हो रहा है, तो उसकी सूचना पहले थाने पर दी जाती है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति सुन्दल बाजार से बैलों को क़य कर निकलता है, तो सुन्दल से ठीकरी आने में 1 घंटे का समय लगता है। उसने थाने पर रिपोर्ट लगभग 5 बजे के बाद लिखाई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटनास्थल से थाने आने पर अधिकतम 10 मिनट का समय लगता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह कभी महाराष्ट्र नहीं गया, इसलिए वह नहीं बता सकता कि महाराष्ट्र कितना बड़ा राज्य है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह विश्व हिन्दू परिषद ठीकरी का संयोजक है और उनके संगठन की बैठक में यह चर्चा होती है कि मध्यप्रदेश से महाराष्ट्र राज्य गौवंश काटने के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाता है, जिसे रोका जाना चाहिए। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उनकी मिटिंग

सप्ताह में एक बार होती है और प्रति सप्ताह होने वाली बैठक में बैलों को पकड़ने की सदस्यों द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण पेश करते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि बैल वालों ने यह नहीं बताया था कि बैलों को महाराष्ट्र के किस शहर में लेकर जा रहे थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि लिखा-पट्टी की कार्यवाही में लगभग आधे घंटे का समय लगा था तथा जानवरों को उताकर गोशाला छोड़ने ले गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि यदि बैलों को लंबे रास्ते से पैदल चलाया जाये तो उनके पैरों के खराब होने का भय रहता है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि लंबी दूरी पर चलाना हो तो पैरों में नाल लगाई जाती है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके सामने बैलों को वध हेतु नहीं ले जाया जा रहा था अथवा वह विश्व हिन्दू परिषद तथा बंजरग दल का संयोजक होने के कारण असत्य कथन कर रहा है।

9. योगेश यादव असा 3 ने भी अंकित द्वारा उसे फोन पर टेम्पों में गौवंश भरकर काटने के लिए महाराष्ट्र ले जाने की सूचना देने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि वह अभियुक्तों को जानता है। अभियुक्तों से जिस दिन बैल पकड़े थे, उसी दिन उन्हें देखा था। वह तथा राहुल ठीकरी गाँव में पुल के पास खड़े थे, वहाँ अंकित पहले से ही खड़ा था। टाटा के छोटे वाहन में 3 बैल उनके मुँह एवं पैर रस्सी से बांधकर ठूस-ठूसकर भरे थे। वाहन में तीन लोग थे फिर वह वाहन को थाने पर लेकर आये थे, फिर अंकित ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उनके सामने टाटा का छोटा वाहन तथा 3 बैल प्रदर्शनी 3 के अनुसार जप्त किये थे। साक्षी ने यह भी कथन किया कि तीनों व्यक्तियों का नाम पता अंकित ने पूछा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उनकी कृषि भूमि है। उसके बड़े पापा खेती बैलों से करते हैं और सुन्देल गाँव में गुरुवार को बैल बाजार लगता है। जहाँ से सेंधवा, खेतिया, पानसेमल, बरूफाटक और अंजड़ के कृषक बैलों को क़य करने के लिए सुन्देल गाँव जाते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने जप्ती की कार्यवाही पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह बजरंग दल एवं विश्व हिन्दू परिषद का कार्यकर्ता है तथा अंकित विश्व हिन्दू परिषद का तहसील संयोजक है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उनकी बैठक में यह बताया जाता है कि म.प्र. राज्य में बैलों को काटने के लिए महाराष्ट्र ले जाते हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अंकित के कहने पर पंचनामों पर हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी ने यह स्पष्ट किया कि अंकित का फोन पहले उसके पास आया था और वह घटनास्थल पर गया था। उन्होंने बैल पकड़े, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह असत्य कथन कर रहा है।

10. सुरभानसिंह अ.सा. 4 का कथन है कि वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों को जानता है। दिनांक 18.09.2014 को वह थाना ठीकरी में प्रधान आरक्षक के पद पर था। उक्त दिनांक को फरियादी अंकित पिता नरेन्द्र तथा दो-तीन व्यक्ति पीकअप वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4607 में 3 नग बैलों को कूरतापूर्वक भरे हुए तथा अभियुक्तों को साथ लेकर आये थे तथा अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त बैलों को कूरतापूर्वक महाराष्ट्र परिवहन करने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 210/13 दर्ज कराई थी जो प्रदर्शपी 2 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि गुरुवार के दिन सुन्देल में बैल बाजार लगता है और उक्त बाजार में सेंधवा, खेतिया, पलसूद, राजपुर, जुलवानिया तथा उनके आसपास के गाँव वाले कृषि योग्य पशुओं को क्रय-विक्रय करने के लिए जाते हैं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह असत्य कथन कर रहा है।

11. प्रधान आरक्षक पीरचंद चौधरी असा 5 का कथन है कि दिनांक 18.09.2014 को उसने थाने के अपराध क्रमांक 210/2014 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने फरियादी अंकित तथा साक्षी योगेश एवं राहुल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने अभियुक्त राजु पिता पुनाजी कहार के कब्जे से टाटा एस कम्पनी की लोडेट वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4607 मय दस्तावेजों एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति तथा 3 बैलों को साक्षियों के समक्ष प्रदर्शपी 3 के अनुसार जप्त किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था तथा जप्त बैल अस्थायी रूप से बाकेबिहारी गोशाला में सुपुर्द किये थे। उसने दिनांक 25.09.2014 को उक्त वाहन तथा 3 बैल राजसात करने के संबंध में पत्र पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजा था जो प्रदर्शपी 6 है। उसने जप्त बैलों को चिकित्सीय परीक्षण करवाने हेतु भेजा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि ठीकरी से सुन्देल गाँव की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर है तथा सुन्देल में प्रत्येक गुरुवार को पशु बाजार लगता है, जहाँ पर आसपास के कृषक पशुओं को क्रय-विक्रय करने आते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि जिस दिन अपराध दर्ज हुआ वह गुरुवार का दिन था तथा ठीकरी से महाराष्ट्र राज्य की दूरी लगभग 70 से 75 किलोमीटर की है। साक्षी ने स्वीकार किया कि तीनों अभियुक्त म.प्र राज्य के रहने वाले हैं तथा अभियुक्तों ने उनका व्यवसाय मजदूरी करना बताया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि अंकित विश्व हिन्दू परिषद का तहसील संयोजक है तथा अंकित एवं उसके साथी बैलों एवं अभियुक्तों को थाने पर लेकर आये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उसे बताया कि वे बैल गागरखेड़ा कृषि कार्य हेतु सुन्देल बाजार से क्रय करके ले जा रहे हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने प्रकरण में असत्य विवेचना की है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

12. डॉ. एस. के. दागोड़े अ.सा. 1 का कथन है कि दिनांक 19.09.2014 को पशु चिकित्सालय ठीकरी में थाना ठीकरी के पत्र के आधार पर जप्त 1 बैल और 2 केड़ों का चिकित्सीय परीक्षण बाकेबिहारी गौशाला ठीकरी में किया था। बैल की आयु 5 वर्ष, केड़ों की आयु लगभग 4 वर्ष की थी। उक्त तीनों पशुओं को कोई चोट के निशान नहीं थे तथा तीनों बैल कृषि कार्य एवं प्रजनन हेतु उपयोगी थे। साक्षी ने चिकित्सीय परीक्षण प्रदर्शपी 1 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि यदि पशुओं को डामर सीमेंट या पथरीली सड़क पर चलाया जाये तो उनकी कृषि कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है।

13. अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण का फरियादी अंकित तिवारी अंसा 2 विश्व हिन्दू परिषद तहसील ठीकरी का संयोजक है और उसने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उनकी बैठक में यह चर्चा होती है कि म.प्र. राज्य से महाराष्ट्र राज्य में गौवंश काटने के लिए महाराष्ट्र राज्य ले जाया जाता है, जिसे रोकना चाहिए तथा उनकी बैठक में बैलों को पकड़ने का सदस्यों द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण भी पेश करते हैं। इस प्रकार साक्षी की उक्त स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी ने विश्व हिन्दू परिषद का संयोजक होने के कारण अपने संगठन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप अभियुक्तों के विरुद्ध यह असत्य कार्यवाही की है, जबकि अभियुक्तगण कृषक होकर अपने बैलों को कृषि कार्य हेतु सुन्देल के हाट बाजार से क़य कर अपने गाँव ले जा रहे थे। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के विरुद्ध गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम तथा कृषि पशु संरक्षण अधिनियम का कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है। उनका यह भी तर्क है कि साक्षियों ने स्वीकार किया कि सुन्देल में गुरुवार के दिन पशुओं का हाट होना सभी साक्षियों ने स्वीकार किया है तथा उक्त घटना का दिन गुरुवार का दिन था।

14. यह सही है कि अंकित असा 2 तथा योगेश असा 3 ने प्रतिपरीक्षण में अंकित को विश्व हिन्दू परिषद का तहसील संयोजक होना स्वीकार किया है तथा यह भी स्वीकार किया कि उनकी संगठन की बैठकों में गौवंश का मध्यप्रदेश से बाहर महाराष्ट्र राज्य में वध हेतु परिवहन रोकने के लिए निर्देश प्रति सप्ताह की बैठक में जारी किये जाते हैं तथा सदस्यों को अपने द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण भी उक्त बैठक में प्रस्तुत करना होता है, लेकिन यदि किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा किसी आपराधिक कृत्य को रोकने के लिए अपने सदस्यों को कोई निर्देश जो विधि सम्मत हो जारी किये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि उक्त संगठन के सदस्य कोई अवैधानिक कृत्य कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी अपराध को होने से रोकना तथा अपराधियों को पकड़ने में सहायता करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। बचाव पक्ष यह प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा कि अंकित अंसा 2 तथा योगेश यादव असा 3 ने जानबूझकर अभियुक्तों के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण अभियुक्तों के आधिपत्य के उक्त वाहन में भरे हुए 3 बैल अवैधानिक रूप से जप्त किये हैं अथवा उनका अन्य कोई अवैधानिक या अनैतिक आशय रहा।

15. अंकित तिवारी असा 2 ने स्पष्ट रूप से अभियुक्तों को टेम्पों क्रमांक एम. पी. 09 एल.पी. 4607 में 3 बैलों को ठूस-ठूसकर भरकर परिवहन किये जाने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं, जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। इस साक्षी ने योगेश यादव असा 3 के साथ उक्त वाहन को रोककर पुलिस थाना ठीकरी में ले जाकर अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिसका समर्थन योगेश यादव असा 3 के कथन से भी होता है। उक्त दोनों ही साक्षियों ने जप्ती पंचनामा प्रदर्शनी 3 पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं तथा उक्त दोनों ही साक्षियों की पुष्टि सुरभान असा 4 तथा पीरचंद चौधरी असा 5 के कथन से होती है जिन्होंने लोक सेवक होने के नाते अपने पद के कर्तव्य निर्वहन के दौरान कार्य करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की तथा अभियुक्त राजु पिता पुनाजी के आधिपत्य से उक्त वाहन और 3 बैलों को जप्त किया था। अभियुक्त के पास उक्त वाहन से 3 बैलों को परिवहन करने हेतु कोई भी अनुज्ञप्ति नहीं थी। यहाँ तक कि उक्त बैलों को क़य करने की कोई रसीद भी बचाव पक्ष की ओर से पेश या प्रदर्शित नहीं कराई गई है तथा अभियुक्तों के कृषक होने के संबंध में भी कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का यह कथन संभावित प्रतीत नहीं होता है कि अभियुक्तों ने उक्त बैल स्वयं के लिए कृषि करने के आशय से क़य किये थे अथवा कृषि के प्रयोजन के लिए उनका परिहवन किया जा रहा था।

16. उक्त बैल कृषि उपयोगी तथा प्रजनन योग्य होने के संबंध में डॉक्टर एस. के दागोडे ने स्पष्ट कथन किया है जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 की धारा 12 के अनुसार यदि उक्त अधिनियम की धारा 5, 6, 7 का उल्लंघन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो इसी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत विचारण में यह साबित करने का भार अभियुक्तों पर होगा कि उक्त कृषिक पशु का वध या परिहवन या विक्रय अधिनियम के उल्लंघन में नहीं था। म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 13 'क' में भी यह प्रावधान है कि जहाँ किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है वहाँ यदि अभियोजन उसके विरुद्ध प्रथमदृष्टि में साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्थिति में है तो यह साबित करने का भार अभियुक्त पर है कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई अपराध कारित नहीं किया है, लेकिन इस प्रकरण में अभियुक्तों की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे कि उक्त उपधारणाओं का खण्डन हो सके।



17. इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्तों द्वारा उक्त दिनांक 18.09.2014 को शाम 5:00 बजे ए. बी. रोड बोराड नदी पुल के पास टाटा एस क्रमांक एम.पी 09 एल.पी. 4607 में 3 बैलों का मुँह एवं पैर बांधकर क्रूरतापूर्वक परिवहन वध करने के आशय से किया जा रहा था जिन्हें अभियोजन साक्षी अंकित तिवारी असा 2 एवं योगेश असा 3 द्वारा पकड़कर उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा पशुकूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 (1) डी, म.प्र. कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम, 1960 की धारा 6/11 एवं म.प्र. गौवंध वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 6/9 का अपराध प्रमाणित होता है। अतः उक्त धाराओं के अपराधों में अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया जाता है।

18. अभियुक्तों के विरुद्ध म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 4 का आरोप भी लगाया गया है लेकिन अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तों ने उक्त गौवंश का वध किया या करवाया अथवा उन्हें वध के लिए दिया है। ऐसी स्थिति में उक्त अपराध प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्तों को म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4 से दोषमुक्त किया जाता है।

19. प्रकरण की परिस्थितियों और अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तों को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर निर्णय स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

#### **पुनश्च:**

20. सजा के प्रश्न पर अभियुक्तों के अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण गरीब, मजदूरी पेशा व्यक्ति है तथा विचारण का शीघ्रता से सामना किया है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

21. यह सही है कि अभियुक्तगण विचारण के दौरान नियमित रूप से उपस्थित रहे हैं तथा गरीब, मजदूरी पेशा व्यक्ति है लेकिन समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों को देखते हुए अभियुक्तों को न्यूनतम दण्ड से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

23. अतः न्यायालय अभियुक्तगण राजु पिता पुनाजी, हरि पिता वारसिंग एवं राजु पिता वेरसिंग को पशुकूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (1) डी में दोषसिद्ध ठहराते हुए 50-50 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण 2-2 दिवस का साधारण कारावास भूतक से भुगतेंगे। इसी प्रकार म.प्र. पशु कृषि परिरक्षण अधिनियम 1959 की धारा 6/9 के अपराध में अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराते हुए 6-6 माह के सश्रम कारावास तथा 300-300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण 1-1 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतेंगे तथा एवं म.प्र. गौवश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 6/9 के अपराध में अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराते हुए 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा न्यूनतम अर्थदण्ड रुपये 5000-5000 से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण 6-6 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतेंगे। उक्त सभी सजाएँ साथ-साथ चलेगी। अभियुक्तों द्वारा बिताई गई अभिरक्षा की अवधि कारावास की सजा में समायोजित की जाये।

24. अभियुक्तगण के न्यायिक अभिरक्षा में रहने हेतु द.प्र.स. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाये जाये।

25. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारत मुक्त किये जाते हैं।

26. निर्णय की एक प्रति अभियुक्तों को निःशुल्क प्रदान की जाये।

27. प्रकरण में जप्त 3 बैलों एवं वाहन टाटा एस क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 4607 के अधिग्रहण की कार्यवाही जिला कलेक्टर बडवानी द्वारा की जा रही है। अतः इस संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक  
मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी (म0प्र0)

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़,  
जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 664/2014 (शासन तर्फे पुलिस  
ठीकरी विरुद्ध राजु आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार  
प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- राजु पिता वेरसिंग, आयु 32 वर्ष,  
निवासी-गागरखेडा थाना ग्रामीण सेंधवा  
जिला - बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 18.09.2014

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा की दिनांक:- निरंक

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़,  
जिला-बड़वानी, म0प्र0